(20)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1068–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–3–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद, प्रकरण कमांक 6/अपील/2014–15 एवं 7/अपील/2014–15.

मध्यप्रदेश शासन .....आवेदक

विरूद्ध

रामदीन पटैल
निवासी हरदा .....अनावेदक

श्रीमती नीना पाण्डे, अभिभाषक, आवेदक शासन
श्री संदीप दुबे, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/1/18 को पारित)

आवेदक शासन द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–03–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा ग्राम धामनिया स्थित भूमि सर्वे कमांक 13/2 एवं 14/1 कुल रकबा 12 एकड़ पर से प्रबंधक कलेक्टर का नाम हटाये जाने का आवेदन पत्र कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर द्वारा कार्यवाही हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार को भेजा गया । तहसीलदार द्वारा विधिवत् जॉच की जाकर अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजा गया । कलेक्टर द्वारा दिनांक 12–04–2010 को आदेश पारित कर अनावेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत किये

जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 12–02–2015 को आदेश पारित कर कलेक्टर का आदेश निरस्त करते हुये प्रबंधक कलेक्टर के रूप में की गई प्रविष्टि विलोपित की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध स्वप्रेरणा से निगरानी में लेने हेतु आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के द्वारा प्रस्ताव दिनांक 23–3–15 प्रस्तुत किया गया है । आयुक्त के प्रस्ताव को अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध निगरानी मान्य करते हुये प्रकरण निगरानी के रूप में दर्ज किया गया ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर श्रीराम मंदिर बिना होकर मंदिर सार्वजनिक है और प्रश्नाधीन भूमि मंदिर की भूमि है, ऐसी स्थिति में प्रबंधक कलेक्टर की प्रविष्टि निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि उक्त मंदिर में समस्त ग्रामीण लोग पूजा अर्चना करते चले आ रहे हैं जो सार्वजनिक श्रेणी के मंदिर में आता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि मध्यप्रदेश राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 11–01–1988 में दिये गये निर्देशों के अनुसार ही देवस्थानों, मंदिर, मठ आदि की भूमि एवं अन्य अचल संपत्तियॉ खुर्दबुर्द न हो इसलिये राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी मंदिर देवस्थान मठ आदि की भूमि एवं अन्य अचल संपत्ति पर बतौर प्रबंधक की हैसियत से कलेक्टर का नाम अंकित किया जावे । अतः अपर आयुक्त उक्त प्रविष्टि को विलोपित करने में जहॉ शासन द्वारा जारी परिपत्र के विरूद्ध कार्यवाही की गई है वहीं माननीय उच्चतम न्यायालय की अवमानना भी की गई है । इस संबंध में ए.आई.आर. 1957 एस.सी. 133 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन मंदिर शासकीय नहीं होकर अनावेदक का व्यक्तिगत मंदिर है इसलिये अपर आयुक्त द्वारा प्रबंधक कलेक्टर की प्रविष्टि विलोपित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त के आदेश को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेने का कोई आधार आयुक्त के द्वारा अपने प्रतिवेदन में नहीं बतलाया गया है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रश्नाधीन भूमि भू–अभिलेखों में श्रीराम मंदिर प्रबन्धक कलेक्टर के नाम थी । अनावेदक ने एक बार भूमि मंदिर को दान कर दी तो उनके स्वत्व उससे समाप्त माने जायेंगे । कलेक्टर ने अपने आदेश में विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों का उल्लेख करते हुये मंदिर को सार्वजनिक हित का मंदिर मान्य किया है । अपर आयुक्त ने अपना निष्कर्ष निकालते समय कलेक्टर द्वारा किये गये विश्लेषण का कोई खण्डन न करते हुये मात्र सीमित आधार पर निजी मंदिर मान्य किया गया है । जबकि मंदिर का उपयोग सामान्य जनता द्वारा किया जाना प्रकरण में प्रमाणित है । उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 12–2–2015 निरस्त किया जाता है । कलेक्टर का आदेश दिनांक 12–4–2010 की पुष्टि की जाती है ।

6/ यह आदेश निगरानी प्रकरण कमांक 1069–पीबीआर/15 (शासन विरूद्ध रामदीन) पर भी लागू होगा । अतः इस प्रकरण में पारित आदेश की एक मूलप्रति उक्त प्रकरण में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर